भारतीय शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक अंतर

POPULATION MATTERS™

VANI
CELEBRATING 35 YEARS OF SERVING THE INDIAN VOLUNTARY SECTOR

भारतीय शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक अंतर

लेखक: वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया

जून 2024

कॉपीराइट © वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस लेख की विषय सामग्री को प्रकाशक को उचित आभार के साथ पूर्ण या आंशिक रूप से पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रकाशित: वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी, पॉकेट,
सेक्टर - 8, द्वारका,
नई दिल्ली 110 077
ई-मेल: info@vaniindia.org
वेबसाइट: www.vaniindia.org

@TeamVANI

@vani_info

@VANI India

@VANI Perspective

कार्यकारी सारांश

भारत में लिंग असमानता वास्तव में एक जटिल एवं गहरी चुनौती है। इन अंतर को कम करने के लिए सराहनीय प्रयासों के बावजूद भी आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि अभी भी कई महत्वपूर्ण कार्य बाकी है। लैंगिक समानता के लिए नीति सुधार, शैक्षिक पहल और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव जैसे सयुंक्त प्रयासों की आवश्यकता है। महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना केवल उनके मानव अधिकारों तक ही सीमित नहीं है - यह भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इन चुनौतियों का डटकर सामना करके हम अपने देश और उसके लोगों के लिए एक समरूप भविष्य की दिशा में अग्रसर होंगे ।

यह लेख/अध्ययन शैक्षिक लिंग अंतर की स्थिति का अनुसंधान /मूल्यांकन करता है, जिसमें भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज मंच की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत में बालिका शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तालमेल बनाना और किशोरियों के लिए वातावरण में सुधार करना है, जो नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) / स्वयं सेवी संस्थानों के गठबंधन तथा एक सांझे लक्ष्य के लिए काम करके हासिल किया जा सकता है।

इस डेस्क रिसर्च (अनुसंधान) के माध्यम से, हमारा उद्देश्य उन नागरिक समाज संगठनों का सर्वेक्षण और प्रतिचित्रण करना है जो भारत में लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जिन राज्यों में लिंग अंतर अधिक है, ऐसे राज्यों में संभावित नागरिक समाज भागीदारों की पहचान करना, जो वाणी के सदस्य भी है। यह दस्तावेज लड़कियों की शिक्षा को मजबूत बनाने में नागरिक समाज संगठन के योगदान और दायरे तथा शैक्षिक लिंग अंतर की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

मैं पॉपुलेशन मैटर्स (Population Matters) के समर्थन के लिए एवं इस प्राथमिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं. इस दस्तावेज़ को लिखने के लिए, मैं वाणी (VANI) के कार्यक्रम सहयोगी सुश्री सुभाषिनी प्रभाकर को धन्यवाद देना चाहता हूँ.

हर्ष जेटली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी - वाणी

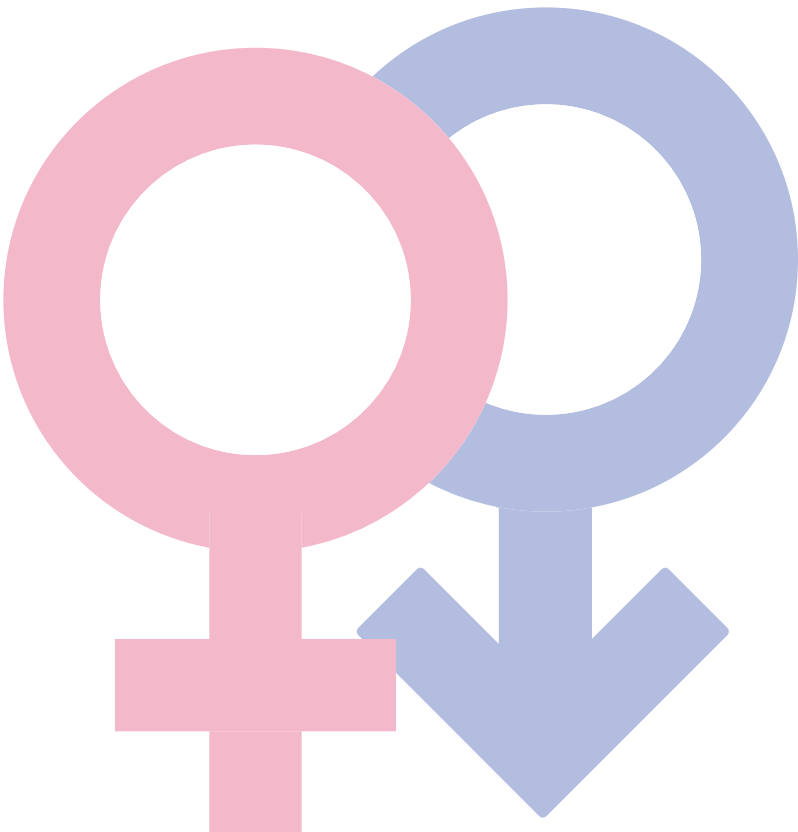

विषय

परिचय 6

समस्या 7

पृष्ठभूमि 8

सन्दर्भ: 12

अध्ययन के उद्देश्य 12

महिला शिक्षा और इसका महत्व 13

भारत में शिक्षा में लैंगिक अंतर क्यों हैं 14

बालिका शिक्षा के अनुपात को बढ़ाने में नागरिक समाज संगठन की भूमिका 16

शैक्षिक लिंग अंतर को कम करने के लिए समाधान 17

भारत में सबसे अधिक शैक्षिक लिंग अंतर वाले तीन राज्य 18

भविष्य दृष्टि 20

भारतीय शिक्षा मे लैंगिक अंतर 21

सर्वेक्षण के निष्कर्ष और सारांश

फ़ुटनोट 29

संदर्भ: 30

परिचय

भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है एवं वर्तमान में यह 1.37 अरब तक पहुंच चुकी है। जिसमे से 65% भारतीय 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं और उन्हें कई विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शिक्षा तक पहुंच, लिंग असमानता, स्वास्थ्य सेवाएँ और शैक्षिक लिंग अंतर शामिल हैं। यूएनएफपीए के अनुमान अनुसार, 2030 तक भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी रहेगी। देश की युवा जनसांख्यिकी के कारण एक मुश्किल परिदृश्य प्रकट होता है, जिसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। इस युवा जनसंख्या को समाज में संयोजित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। भारत में शिक्षित और प्रेरित युवाओं की भागीदारी तथा उनका नेतृत्व देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को उच्च स्तर तक पंहुचा सकता है।

एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल 59.5% भारतीय युवा ही साक्षर हैं और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक श्रेणियों में अभी भी शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर मौजूद है। कुशल श्रमिकों की इस कमी से राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

शिक्षा देश की सामाजिक प्रगति, कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साक्षरता स्तर एक महत्वपूर्ण विकास संकेतक है क्योंकि यह जागरूकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और एक कुशल कार्यबल उत्पन्न करता है। यह लिंग समानता, स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक कल्याण को भी बढ़ावा देता है, साथ ही सामाजिक और आर्थिक लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या में युवा लड़कियाँ हैं जिन्हें शिक्षा और तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिलते हैं।

शिक्षा महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रसिद्ध अफ्रीकी कहावत है, “यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं।” यह सभी को लिंग समानता पर विचार करने और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। ब्लूमबर्ग के अनुसार, उच्च महिला साक्षरता दर जीडीपी में “वृद्धि प्रीमियम” ला सकती है। फिर भी, सार्वभौमिक महिला शिक्षा को रोकने वाली बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं।

समस्या

अब भी भारत में बालिका शिक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। 2006 में, 11 से 14 वर्ष की उम्र की लगभग 10.3% लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया । 2018 में इसमें सुधार हुआ और इसका दर 4.1% रह गया। उसी तरह, 2008 में 15 से 16 वर्ष की आयु की 20% लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, जो धीरे-धीरे 13.5% तक कम हो गया।

आंकड़ों के अनुसार समय के साथ इसमें प्रगति दिख रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम यह स्वीकार करें कि अभी भी चुनौतियाँ कायम हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का सर्वेक्षण और रिपोर्ट बताती है कि विभिन्न कारणों से 40% किशोरियाँ समय से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं।

उनमें से 65% स्कूल छोड़ने के बाद घरेलू कामों में लग जाती है। सामाजिक नियम और लिंग भेद लड़कियों के स्कूल और कॉलेज छोड़ने के मुख्य कारक हैं।

लिंगानुपात में शैक्षिक साक्षरता का अंतर देश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। मकिंसी की 2018 रिपोर्ट तथा भारतीय उद्योग संघ के अनुसार, भारतीय जीडीपी में महिलाओं का योगदान केवल 18% है और केवल 25% महिलाएँ कार्यबल में हैं, जो कि वैश्विक मानकों से कम है।

दोनों सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के समर्पित प्रयासों के बावजूद, भारत में शैक्षिक साक्षरता दरों में लिंगानुपात मजबूती से बना हुआ है। लिंग भेद लड़कियों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बाधा है, सामाजिक नियमों के कारण बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देने के बजाय लड़को को पढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। यह पक्षपात छोटी उम्र में विवाह, सांस्कृतिक बाधाये और बालिका छात्राओं के साथ हिंसा आदि को बढ़ाता है। हालांकि, बालिका शिक्षा एवं लिंग समानता न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक समृद्ध और न्यायसंगत भविष्य के लिए भी आवश्यक है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा क्षेत्र में बाधाओं को संबोधित किया जाना चाहिए। भारत में इन बाधाओं और चुनौतियों को उचित बदलाव की आवश्यकता है, ताकि देश में लिंग संवेदनशील समाज की दिशा में सकारात्मक बदलाव हो सके।

पृष्ठभूमि

यूनेस्को के अनुसार, "साक्षरता वह क्षमता है जिससे व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित प्रकाशित और लिखित सामग्री को पहचान सकता है, समझ सकता है, व्याख्या कर सकता है, सृजन कर सकता है, संचार कर सकता है और गणना कर सकता है। साक्षरता में शिक्षा की एक श्रृंखला शामिल है, जो व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने, उनके ज्ञान और संभावनाओं को विकसित करने और उनके समुदाय और व्यापक समाज में पूर्णतः भाग लेने में समर्थ बनाती है।"

लैंगिक समानता के लिए सरकारी नीतियां और नियम

कोठारी आयोग (1964-1966) को भारत के लिए एक संघटित शिक्षा नीति तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था। इस आयोग ने निरक्षरता को समाप्त करने और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

1971 में, भारतीय महिलाओं में 22% शिक्षित थीं जबकि 1947 में यह केवल 6% थी, और इसके लिए श्रेय हमारे नेताओं को जाता है जिन्होंने महसूस किया कि यदि देश को विकसित करना है तो महिलाओ को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा।

1986 में, शिक्षा पर नई नीति की घोषणा की गई जिसमें बदलाव की आवश्यकता और असमानताओं को हटाने की जरूरत पर जोर दिया गया, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए। 1992 में, जब शिक्षा नीति का पुनरावलोकन किया गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) को भारत के शिक्षा प्रणाली के लिए एक उचित मार्गदर्शक माना गया, हालांकि कुछ लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित किया गया, और कुछ प्रारूपों पर कार्य किए गए - विशेष रूप से प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, नई माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया, हालाँकि अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रहा।

26 सितंबर 1985 को भारत सरकार के 174वें संशोधन के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय (एमओई) बनाया गया था। वर्तमान में, एमओई दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है - स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। 2009 में, आरटीई अधिनियम ने तय किया कि प्रत्येक बच्चे को न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

कई वर्षों के बाद भारत में साक्षरता दर प्रतिशत में विशेष परिवर्तन देखा गया, लेकिन देश अभी भी उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए, जैसा की अपेक्षित था, क्योंकि आज 2024 में भी हम बालिका शिक्षा क्षेत्र में लगातार लिंग अंतर देखते हैं।

30 जनवरी 2006 से भारत सरकार का महिला और बाल विकास विभाग एक अलग मंत्रालय के रूप में मौजूद है,1985 से पहले यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था।

इस मंत्रालय के गठन का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य नीतियों में अंतर पता करने और उसके लिए मंत्रालय तथा सचिव समन्वय को बढ़ाकर लैंगिक समानता और बाल-केंद्रित कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना था ।

हमारी युवा कौशल क्षमता को शिक्षा, कौशल विकास, लैंगिक भेदभाव समाप्ति और रोजगार के अवसर प्रदान करके आगे बढ़ाना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ, 2015 में पूर्व योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (नेशनल इंस्टीटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना की गई थी।

नीति आयोग शिक्षा वर्ग के अंतर्गत नीतियो और कार्यक्रमों के माध्यम से अनुकूल शिक्षा का वातावरण स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि लोग अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सकें और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान कर सकें।

इसके अंतर्गत विद्यालय/पाठशाला की तैयारी, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा, महत्वपूर्ण एवं उच्च स्तर विचारधारा तथा बच्चों के बीच ग्रेड स्तर योग्यता जैसे मुद्दों से सम्बंधित नीतियाँ और नियम पुनः रूपांतरित किए गए। इसका उद्देश्य यह था कि युवाओ को रोजगार योग्यता के साथ साथ उच्च गुणवत्ता, उपलब्ध, न्यायसंगत और सस्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अनुसंधान प्रवृत्ति और विषय-विशेषज्ञता प्रदान करके सशक्त बनाया जाए।

भारत सरकार ने देश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में परिवारों और लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्तियाँ, और अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

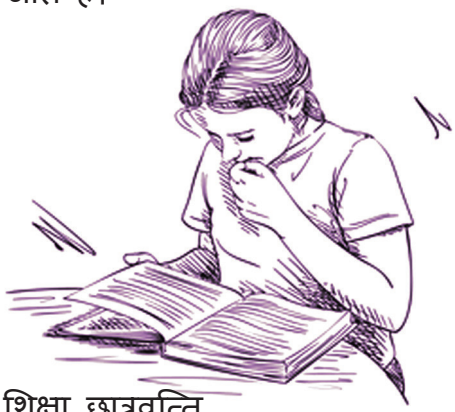

कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
2. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय
3. सुकन्या समृद्धि योजना
4. राष्ट्रीय औसत-सह-मेरिट छात्रवृत्ति
5. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
6. अनुसूचित जातिगत लड़कियों के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

2019 में कई सारे सार्वजनिक परामर्शों के बाद, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर नई शिक्षा नीति (एनईपी) का दस्तावेज जारी किया। इस नीति की बुनियाद “पहुंच, समानता, सस्ती और जवाबदेह” शिक्षा प्रणाली आधारित है, जो 2030 के दीर्घकालीन विकास के उद्देश्य से समायोजित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का उद्देश्य भारत को एक जीवंत एवं योग्य समाज तथा वैश्विक महाशक्ति में बदलना है, जिसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र, लचीली, और बहु-आयामी बनाकर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए, और प्रत्येक छात्र की विशिष्ठ क्षमता को प्रकट किया जा सके।

2014 में एनसीईआरटी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुरूप महिला अध्ययन विभाग का नाम बदलकर 'डिपार्टमेंट ऑफ़ जेंडर स्टडीज' में बदल दिया है, जिसमें ट्रांसजेंडर (टीजी) को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी गई है ।

इस प्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ़ जेंडर स्टडीज (डीजीएस) संविधान द्वारा उनके अधिकारों की उचित रक्षा और प्रवर्तन के लिए एक लिंग समावेशी समाज के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभाग केंद्र और राज्यों में बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन की सलाह देता है एवं सहयोग प्रदान करता है।

शिक्षा के माध्यम से बालिका सशक्तिकरण में नागरिक समाज संगठन / गैर-सरकारी संगठन की मध्यस्ता

प्राचीन समय में समाज अधिकतर पुरुष-निर्धारित था, जहां लड़कियों को शिक्षित करना पूरी तरह से अनावश्यक माना जाता था। भारत के इतिहास की ओर देखे तो - वर्ष 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। उन दोनों ने 1853 में एक शिक्षित समाज स्थापित किया। उन्होंने शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था।

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की साक्षरता दर में धीरे-धीरे सुधार और बदलाव हुआ है। चंद्रमुखी बोस और कादंबिनी बोस ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक पास की और कॉलेज जाने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने बेथ्यून कॉलेज में विशेष महिला कक्षाएं शुरू कीं क्योंकि गर्ल्स' कॉलेज नहीं थे और पुरुषों के कॉलेज में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था।

ब्रिटिश शासन के दौरान, विभिन्न सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों ने महिला शिक्षा के महत्व को बल दिया और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि जैसे प्रमुख महापुरुषों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई।

भारत में नागरिक समाज संगठन और गैर-सरकारी संगठन एवं सरकार और शिक्षा मंत्रालय के साथ हाथ मिलाकर लड़कियों को शिक्षित करके उनके सशक्तिकरण में सक्रिय भागीदारी हैं। ये संस्थान लड़कियों और महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देते हैं, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और जागरूकता अभियानों का आयोजन करके महिलाओं को उनके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते है ।

ये संस्थान समुदायों के साथ सीधे रूप से काम करके स्थानीय परिस्थितियों को समझने और उसके अनुसार उपाय उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं।

आधारभूत संपर्क उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और समाधान करने में सक्षम बनाता है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या जीविका संबंधी हों। गैर-सरकारी संगठन/नागरिक समाज संगठन नीति सुधार और कानूनी परिवर्तन के पक्ष में होते हैं और लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं।

वे लॉबींग, सहयोग और शोध के माध्यम से कानून और विधियों पर प्रभाव डालते हैं। ये संस्थान सरकार, अन्य संगठनों और हितधारकों के साथ सहयोग सम्बन्ध स्थापित करते हैं ताकि उनका प्रभाव बढ़ा सकें।

भारत में कई सत्यापित एनजीओ हैं जो लड़कियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और उनके सभी अधिकार सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। उनमें से भारत में स्थित कुछ गैर-सरकारी संगठन जो वर्षों से महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

1. **कैलाश सत्यार्थी बाल फाउंडेशन (केएससीएफ)**: यह संगठन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित किया गया है, जो बाल संरक्षण एवं विकास नेतृत्व के लिए कार्य करता है। केएससीएफ 40 वर्षों से बालिका शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

2. **चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई)**: भारत में 1979 में गरीब बच्चों के लिए यह एनजीओ शुरू हुई । यह चार दशकों से अधिक समय से खुशहाल और स्वस्थ बचपन के निर्माण के लिए काम कर रही है। यह एनजीओ भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जैसे शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण, और भागीदारी आदि। अब तक इन्होने 30 लाख बच्चों के जीवन को बदलकर बेहतर बनाया है।

3. **प्रथम**: प्रथम एक नई विचारधारा आधारित शिक्षा संस्थान है, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। यह 1995 में स्थापित किया गया ताकि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। देश के सबसे बड़े गैर-सरकारी संस्थानो में से एक 'प्रथम' शिक्षा क्षेत्र में विख्यात और सम्मानित है। शिक्षा नीतियों में संभव कार्यवाही के लिए एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) महत्वपूर्ण योगदान बन गई है। प्रथम उच्च गुणवत्ता, कम लागत, और पुनर्निर्माण मध्यस्ता पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर किया जा सके।

4. **प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (पीआरएडीएएन)**: पीआरएडीएएन की स्थापना 1983 में हुई थी, जिसका उद्देश्य समुदायों में काम करने वाले शिक्षित पेशेवर लोगो द्वारा गरीब लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए आवश्यक सहानुभूति और शिक्षा प्रदान करना था। 1987 में पीआरएडीएएन ने सरकार के साथ काम करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में आईआरडीपी, एसजीएसवाई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे विकास कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाई । ये स्थायी और स्व-चालित परिवर्तन के लिए काम करते हैं। ये महिलाओं, परिवारों और समुदायों को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रणालियाँ बनाते हैं।

5. **टीच फॉर इंडिया**: टीच फॉर इंडिया की स्थापना 2008 में हुई थी। आज, यह 900 साथियो के साथ मिलकर 33,000 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और 4,500+ पूर्व छात्रों के साथ में भारत भर में 5 करोड़ बच्चों तक संपर्क स्थापित कर पाए हैं। इनके साथी नई विचारधारा आधारित ऐसे शैक्षिक क्षेत्र बनाते हैं, जहां छात्र सुरक्षित, प्रेम पूर्वक और क्षमता निर्माण के लिए प्रेरित किए जाते हैं।

सन्दर्भ:

पंचायत स्तर से लेकर ग्रामीण, शहरी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई नीतियां और पहल लागू की गई हैं, लेकिन समुदायों में रणनीतिक अग्रसरता और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच बड़े अंतर हैं। दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों में चौथा संरक्षित विकास लक्ष्य (एसडीजी) समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में लड़कियों को दोबारा विद्यालय में प्रवेश दिलाने और सभी के लिए उच्च गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) एक राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित है और भारत में नागरिक समाज संगठनों / स्वयं सेवी संस्थानो के सहयोग इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) को मजबूत करती है। हमारे 620 सदस्य संगठन हैं और जिनकी पहुँच लगभग 10,000 संगठनों तक है। हमारे सदस्य विकास मुद्दों पर काम करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, और नीति विश्लेषण आदि ।

वाणी केवल नागरिक समाज संगठनों के अनुपालन, संचालन और संगठनात्मक विकास के लिए क्षमता निर्माण ही नहीं करती है, बल्कि आधुनिक मुद्दों और पद्धतियों पर भी उन्हें सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है।

भारत सरकार भी 2020 संशोधित पूर्णतात्मक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त स्कूल, कॉलेजों का निर्माण, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रमों में सुधार का काम कर रही है, लेकिन विशेष रूप से लड़कियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सुधार और उनके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने की आवश्यकता है।

इसका समाधान करने के लिए सरकार, शिक्षा संस्थानो, नागरिक समाज संगठनों और समुदाय समूहो के साथ मिलकर निरंतर और केंद्रित प्रयास कर रही हैं।

वाणी 'पॉपुलेशन मैटर्स' के साथ हाथ मिलाकर साझे लक्ष्यों की दिशा में काम कर रही है, जिसमें सार्वभौमिक शिक्षा के माध्यम से दीर्घकालीन विकास प्राप्ति के लिए समूह एवं संगठनों को गतिशील और प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

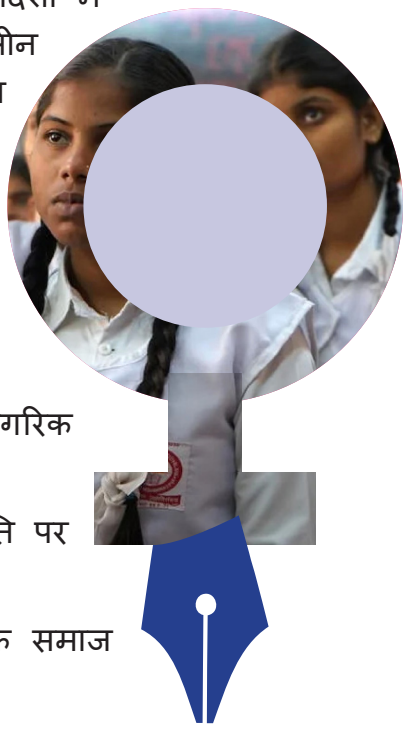

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में अधिकतम शैक्षिक लिंग अंतर वाले राज्यों का मानचित्रण करना।
2. चुने गए राज्यों में वाणी के सदस्य संगठनों में से सक्षम नागरिक समाज साथीयों की पहचान करना।
3. चुने गए राज्यों में शिक्षा में लैंगिक अंतर की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना।
4. दस्तावेज़ीकरण करना - बालिका शिक्षा में सुधार में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका और योगदान।

महिला शिक्षा और इसका महत्व

उचित शिक्षा प्राप्त करके लड़कियाँ ऐसे निर्णय ले सकती हैं, जो उन्हें उनके जीवन में विषाक्त लोगों और परिस्थितियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते है।

बालिका शिक्षा असमानता और लैंगिक भेदभाव को कम करती है। शिक्षित लड़कियाँ कार्यक्षेत्र में शामिल हो सकती हैं, परिवार की आर्थिक देखभाल कर सकती हैं, विवाह और जीवन के निर्णय समझदारी से ले सकती हैं, जो उनके लिए और उनके परिवार के लिए बेहतर भविष्य में सहायक होते हैं।

बालिका शिक्षा एक स्थिर और लचीले समाज में योगदान करेगी, जो नागरिकों को उनकी सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए रास्ता दिखाएंगे और जो उच्च जीवन स्तर की दिशा में ले जाएगा।

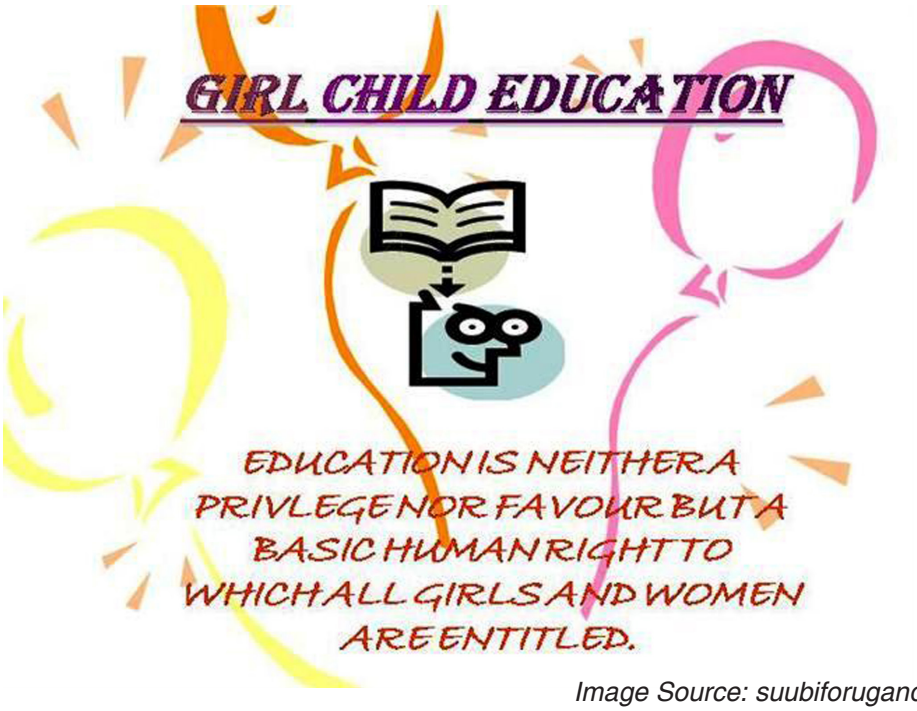

Image Source: suubiforuganda

शिक्षा सभी के लिए मौलिक अधिकार है। यह विशेषाधिकार नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार है।

शिक्षा लड़कियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के लिए रास्ते खोलती है।

शिक्षित महिलाएं अधिक स्वावलंबी, सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं।

शिक्षा बाल विवाह और समय से पहले गर्भावस्था के जोखिम को कम करती है, जिससे उनके जीवन में स्वस्थ रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

शिक्षित माताएं अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करती हैं, जो भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक मार्ग बनाता है।

शिक्षित लड़कियाँ सक्रिय नागरिक बनती हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, सामाजिक विकास में भागीदारी करती हैं और समावेशी समाज के लिए योगदान करती हैं।

भारत में शिक्षा में लैंगिक अंतर क्यों हैं

ऐसे कई कारक और कारण हैं, जो महिला साक्षरता दर को कम कर रहे है, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

आर्थिक स्थितियाँ: निम्न-गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवारों के पास अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सीमित संसाधन होते हैं। इन परिवारों में बच्चे परिवार की आय में योगदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर काम करते हैं, जिससे लड़कियों को नियमित स्कूल जाने में कठिनाई होती है। कुछ परिवारों में बड़ी बहनें घर पर छोटे भाइयों की देखभाल करती हैं, ताकि दोनों माता-पिता पूरे समय काम कर सकें।

सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड: अधिकांश भारतीय परिवार ग्रामीण समाज में पितृ सत्ता में रहते है। लड़कियों का उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही छोटी उम्र में विवाह करवा दिया जाता है। अधिकांश परिवार पुत्र शिक्षा को अपनी बेटियों की तुलना में अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिससे लड़कियो को स्कूल छोड़ना पड़ता हैं।

भारत में सामाजिक मानदंड महिलाओं को घर के कामकाज और देखभाल के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हैं। यह औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के रूप में उनके कथित मूल्य को कम करता है - जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम के लिए जिम्मेदार हैं।

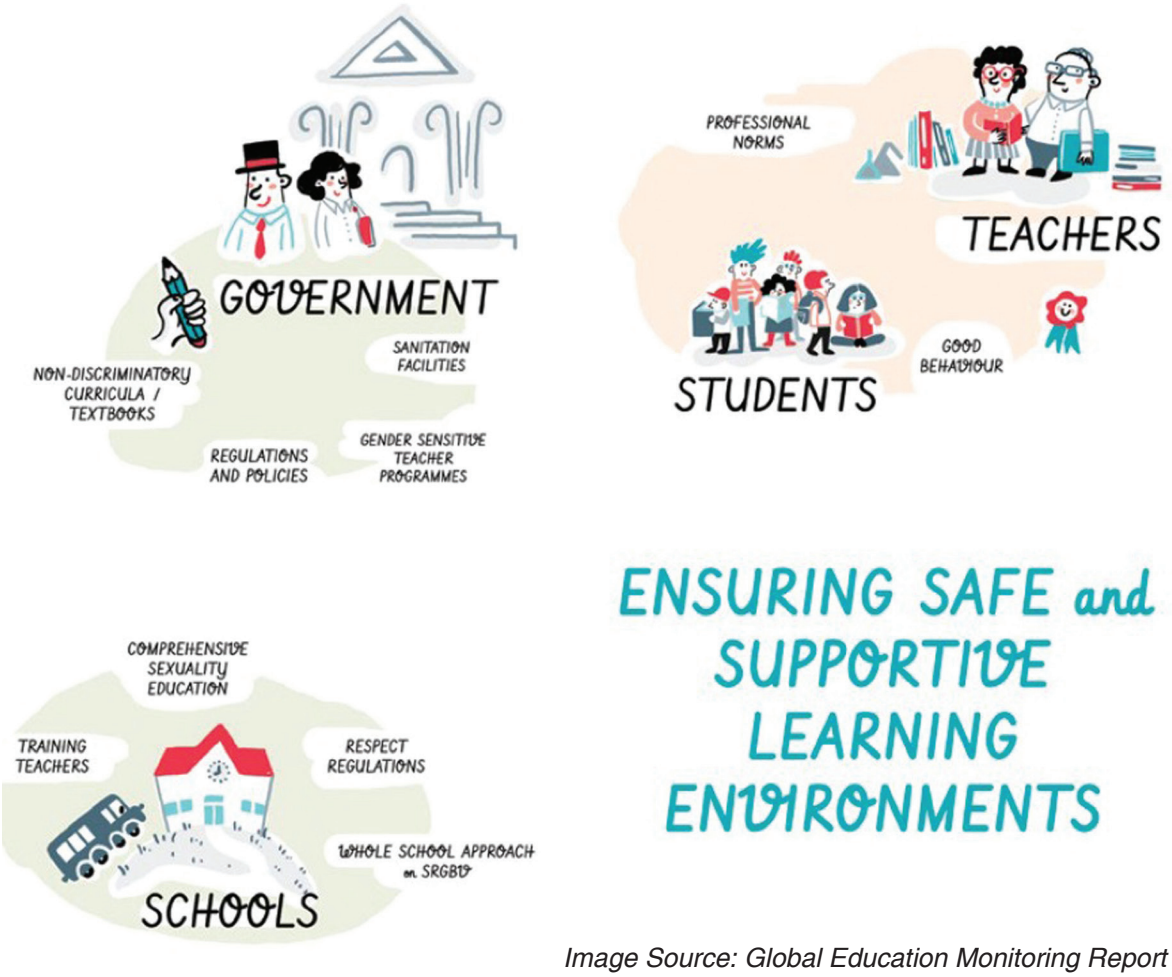

Image Source: Global Education Monitoring Report

आधारभूत समस्याएँ: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएँ, फर्नीचर, शौचालय और पीने के पानी जैसी मौलिक सुविधाओं की कमी होती है।

इस कारण लड़कियों के लिए समस्या बढ़ जाती है, जब उन्हें मासिक धर्म शुरू होते हैं, तो उनके पास उचित स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध नहीं होते और उन्हें स्थिति को संभालने के लिए उचित ज्ञान भी नहीं होता है। यह लड़कियों को नियमित रूप से स्कूल जाने से रोक सकता है।

शिक्षा पर खर्च: ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी माता-पिता लड़कों की तुलना में लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पैसा खर्च करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। पुरुष पक्ष शिक्षा खर्च में और अधिक बढ़ोतरी हुई है। घरेलू आर्थिक स्थिति भी एक कारण है जिसके कारण महिलाओं की उच्च शिक्षा में अंतर देखा गया है।

परिवारों का प्रवास: गरीब ग्रामीण क्षेत्रों से परिवार शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, जिससे निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में धन कमाया जा सकें। इस प्रकार की स्थिति में लड़कियों के लिए स्कूल जाना कठिन हो जाता है। इसलिए, वे स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि इन कार्य क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर सीमित होते है या उन्हें अपने गांव में रहना पड़ेगा । लम्बी अनुपस्थिति के कारण उनकी शिक्षा में अंतर आ जाता है।

सुरक्षा और संरक्षण संबंधित चिंताएँ: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी माता-पिता इस बात से डरते है कि उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए लम्बी यात्रा करनी पड़ेगी, विशेषकर उन गांवों में जहां आवश्यक या विश्वसनीय परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे स्कूल और कॉलेज शिक्षा में पूर्ण उपस्थिति में बाधा आती है।

स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पर आधारित शिक्षा: हाल ही में यह देखा गया है कि कई माता-पिता अपनी बेटियों को उन स्कूलों में भेजने के लिए तत्पर और सहमत होते हैं, जो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे परिवारो की प्राथमिकता अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षित करने की होती है।

अयोग्य और अनुभवहीन शिक्षक: ग्रामीण क्षेत्रों में कई शिक्षक शिक्षा देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते। यद्यपि नियमित शिक्षक नियुक्त होते हैं, लेकिन कई बार भर्ती में बाधाएँ आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी भी है।

बालिका शिक्षा के अनुपात को बढ़ाने में नागरिक समाज संगठन की भूमिका

जागरूकता: भारत में लड़कियों की सामाजिक समस्याओं को समझना और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करके क्षमता बोध कराना तथा एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए उन्हें सशक्त बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई नागरिक समाज संगठन अभियान, क्षमता निर्माण और कार्यशालाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

इसके साथ ही सीएसओ और सरकार संयुक्त रूप से मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाये, उनके प्रभाव क्षेत्र का नियमित निरिक्षण/ मूल्यांकन किया जाये और रिक्तियों को भरा जाये ।

मुफ्त शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना: गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन संगठनों ने मेरिट छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। अन्य सहयोगी कार्यक्रमों में करियर परामर्श और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता हैं, ताकि रोजगार के अवसर मिल सकें।

महिला अधिकार: अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों से अनजान हैं। नागरिक समाज संगठन और गैर-सरकारी संगठन उन्हें कानूनी सलाह और सहयोग प्रदान करके सशक्त बनाते हैं और उन्हें घरेलू हिंसा जैसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास: गैर-सरकारी संगठन महिलाओं को सिलाई, हस्तशिल्प, कंप्यूटर ज्ञान, सैनिटरी पैड्स बनाने, कृषि आदि कौशल सिखाकर उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। ये कौशल महिलाओं को नौकरी ढूंढने या छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं। इससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।

कार्यात्मक साक्षरता और सुधारात्मक शिक्षा कक्षाएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं विभिन्न परिवारिक या वित्त संबंधित मुद्दों के कारण कभी स्कूल नहीं जा पाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक निश्चित आयु के बाद वे स्कूल वापस नहीं जा सकतीं और इससे उन्हें शर्मिंदगी होती है।

यह एक ग़लतफहमी है और समाज से इसे हटाना चाहिए। इन महिलाओं को समझाना चाहिए की वे सुधारात्मक शिक्षा कक्षाओं के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करके समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है।

शैक्षिक लिंग अंतर को कम करने के लिए समाधान

शिक्षा तक पहुँच के लिए वकालत: जब माता-पिता को लड़कियों की शिक्षा के सकारात्मक प्रभावों पर प्रशिक्षित और शिक्षित किया जाता है, तो उनका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है और वे अपनी बेटियों को स्वतंत्र बनने की सक्षमता प्रदान कर सकते हैं।

स्वच्छता किट: ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान घर पर रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास सैनेटरी पैड्स और अन्य स्वच्छता उत्पादों की कमी होती है। इन उत्पादों का नियमित वितरण, खासकर सरकारी स्कूलों में, बहुत आवश्यक है।

प्रोत्साहन: परिवारों को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति, वेतन (स्टाइपेंड) और मेरिट पुरस्कार आदि इस अंतर को कम करने में मदद करेंगे।

अनुकूल वातावरण: स्कूलों में लड़कियों के लिए सुरक्षित और सहायक स्थान बनाना अनिवार्य होना चाहिए। स्कूलो में लड़को और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, किसी भी प्रकार के यौन शोषण का समाधान करने के लिए परामर्श कर्ता और लिंग संवेदनशील शिक्षकों होने चाहिए।

आर्थिक कारक: गरीबी शैक्षिक लिंग असमानता के कारणों में से एक है। वंचित समुदायों की लड़कियों को देशभर में कक्षा XII तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

सरकार द्वारा निरिक्षण के उपाय: गाँव, शहर, राज्य, और राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण, उपस्थिति दर्ज कराना, स्कूल छोड़ने, शिक्षा अंतराल और परिणामों के बारे में नियमित डेटा संग्रहण करना एवं उसकी प्रगति का निगरानी रखने में सहायक होगा, और इससे सुधार क्षेत्रों की पहचान करना आसान हो जायेगा ।

सोशल मीडिया: इस डिजिटल युग में, जानकारी का प्रसारण बहुत आसान और तेजी से हो जाता है। नियमित प्रचार-प्रसारण अभियानों से अधिक जागरूकता पैदा की जा सकती है।

एनजीओ और सिविल सोसाइटी के साथ सहयोग: ये संगठन जमीनी स्तर पर काम करते हैं, और इनकी विशेषज्ञता और उद्देश्यपूर्ण मध्यस्तता लागू करने से धीरे-धीरे निश्चित रूप से समानता और समावेशन सुनिश्चित करके बड़ा अंतर लाया जा सकता हैं।

समावेशी पाठ्यक्रम: स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा को शामिल करना समावेश को बढ़ावा देता है। इससे छात्रो की अधिग्रहण और प्रगति में सुधार हो सकता है।

लिंग और व्यापक यौन शिक्षा: छात्रों को आवश्यक जीवन कौशल के साथ शिक्षित करने से वे अपने अधिकारों को पहचान पाएंगे और अपने सामाजिक और यौन संबंधों के बारे में जिम्मेदार विकल्प चुन पाएंगे, क्योंकि वे वयस्कता और प्रजनन स्वास्थ्य की अवधारणाओं को उचित तरीके से समझ पाएंगे। किशोरियों की भावुकता और उनकी समस्याओं का ऐसे स्कूल पाठ्यक्रम के माध्यम से समाधान किया जा सकता है।

भारत में सबसे अधिक शैक्षिक लिंग अंतर वाले तीन राज्य

2021 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के आधार पर, सबसे कम औसत साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश (66.4%) है, इसके बाद राजस्थान (69.7%) और बिहार (70.9%) का स्थान है।

निम्न तालिका भारत के सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों और उन राज्यों में सबसे कम महिला साक्षरता दर का विवरण दर्शाती है

संख्या	राज्य	पुरुष	महिला	औसत
1.	राजस्थान	80.8	57.6	69.7
2.	आंध्र प्रदेश	73.4	59.5	66.4
3.	झारखंड	83%	64.7%	74.3%

राजस्थान:

राजस्थान में महिला श्रम बल सहभागिता दर (एफएलएफपीआर) 14.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 23.3% से कम है, यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 2019-20 के अनुसार है। एफएलएफपीआर यह गणना करता है कि उन महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, जो अभी काम कर रही हैं या नौकरी ढूंढ़ रही हैं।

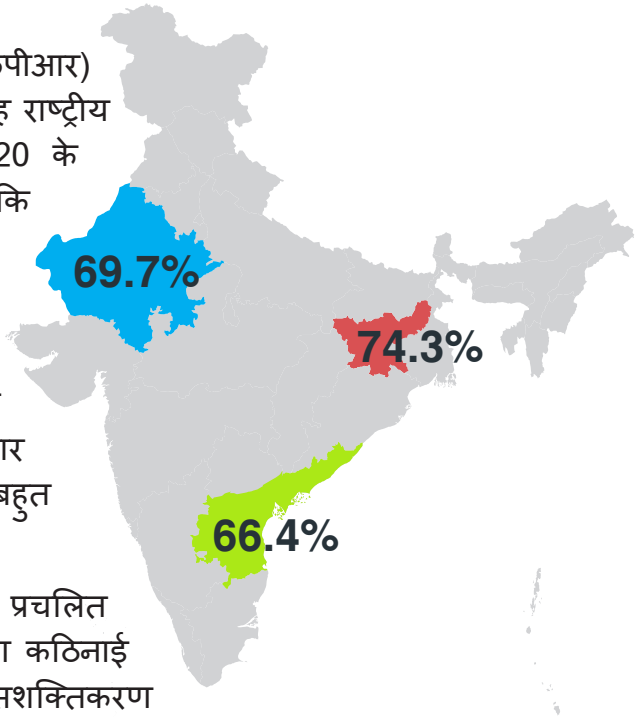

यह सर्वेक्षण दर्शाता है कि राजस्थान में केवल 23.4% महिलाएं सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में हैं, जिसमें दोनों नौकरी करने वाली और बेरोजगार महिलाएं शामिल हैं। यह राष्ट्रीय औसत 43.4% से बहुत कम है।

राजस्थान में महिलाओं के अधिकार और क्षमताएँ प्रचलित पुरुषवादी सामाजिक दृष्टिकोण और मूल्यों के कारण कठिनाई में हैं। लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली सांस्कृतिक नीतियों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

यह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जैसे जन जागरूकता अभियान, समुदाय-नेतृत्व वाली परियोजनाएं, तथा सशक्त महिला रोल मॉडल को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और व्यवहार से निपटने के प्रयास में पुरुषों और लड़कों को शामिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, राजस्थान महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में सबसे अधिक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें बलात्कार, दहेज के विरोध में पीड़ित करना, और घरेलू हिंसा आदि सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। महिलाओं के साथ हिंसा और भेदभाव महिला असमानता के मुख्य कारण हैं।

आंध्र प्रदेश:

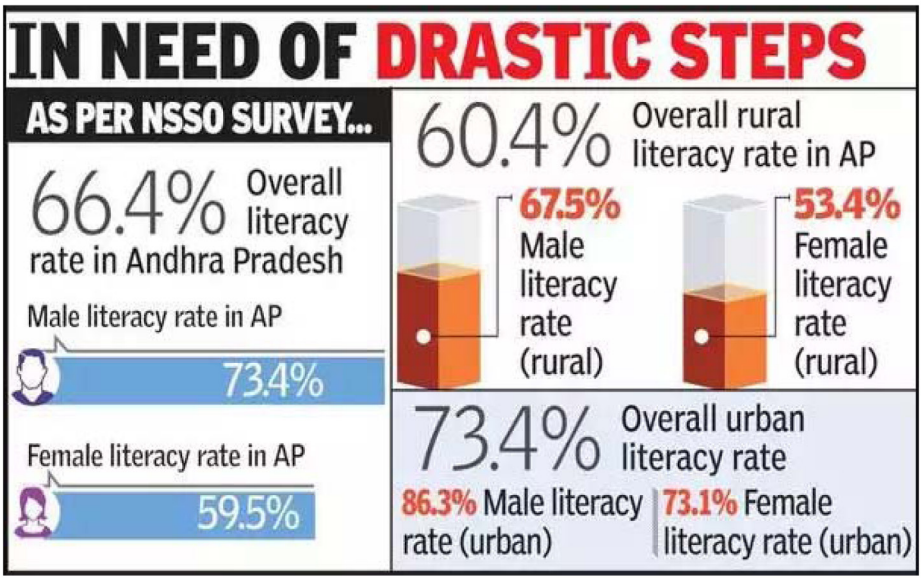

छवि स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट (2020) के अनुसार - आंध्र प्रदेश में शैक्षिक लिंग असमानता ने साक्षरता को प्रभावित किया है । आंध्र प्रदेश में महिला साक्षरता दर 59.5% है, जो राजस्थान की साक्षरता दर से थोड़ी ऊपर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है, जहां साक्षरता दर 53.4% है।

हालांकि, इसी डेटा ने युवा समूह में नामांकन अनुपात में धीरे-धीरे घटते अंतर को उजागर किया, जो लिंग अंतर में कमी और बालिका शिक्षा के प्रति बदलती धारणाओं को दर्शाता है। परन्तु अभी भी वृद्ध वयस्क आबादी का एक बड़ा हिस्सा साक्षरता अंतर के लिए जिम्मेदार हैं।

झारखण्ड

राज्य ने शिक्षा तक पहुंच संबंधी लक्ष्यों पर प्रगति की है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर लड़कियों का नामांकन आनुपातिक रूप से होता है। हालांकि, राज्य कई चुनौतियों से जूझ रहा है। लड़कियों और लड़कों दोनों की शिक्षा निरंतरता की कम दरें प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं ।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का एक बड़ा हिस्सा पहली पीढ़ी का है जो अत्यंत गरीब समुदायों से आता है।

इनमें से कई बच्चे भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, स्कूलों को बच्चों की विविधता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

इन कम आंकड़ों के लिए वित्तीय बाधाएं मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं - राज्य की आबादी का 39 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहता है, जिसमें जातिगत भेदभाव और कमजोर समुदाय की जनजातिया भी शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, स्कूली छात्राएँ शिक्षा (ट्यूशन), किताबें और वर्दी (यूनिफॉर्म) का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। घरेलू कामों का बेहिसाब बोझ और असुरक्षित सार्वजनिक स्थान उनकी शैक्षिक क्षमता को और सीमित कर देते हैं।

स्कूल में नामांकित लड़कियों का मौजूदा निम्न प्रतिशत तब और कम हो जाता है जब लड़कियां 16 से 17 वर्ष की हो जाती हैं, तथा उनके परिवार वाले उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे विवाह कर लें और घरेलू जिम्मेदारियां संभाल लें।

वित्तीय प्रतिबंध कई माता-पिता के लिए बच्ची की शिक्षा में बाधा बनते हैं। आमतौर पर, उसे घर पर रहकर घरेलू काम करने और छोटे भाई-बहन की देखभाल करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि परिवार के लड़के को स्कूल भेजा जाता है।

कुछ माता-पिता अपनी बेटी को शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे स्कूलों की कमी या अन्य सामाजिक कारक रूकावट बन जाते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कई लड़कियाँ स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती हैं।

भविष्य दृष्टि

लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और कार्य क्षेत्र में भागीदारी भविष्य में भारतीय जीडीपी में एक बड़ा योगदान कर सकता है।

सिविल सोसायटी और सरकार को सही समय पर मिलकर सामाजिक व्यवस्था और लिंग असमानता को कम करने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए।

लड़कियों की शिक्षा में निवेश केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है। शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त करके, हम भारत के लिए एक समान और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं।

अधिक महिला शिक्षकों और निरीक्षण कर्मियों को नियुक्त करना अथवा उसमे बढ़ोतरी करना परंपरागत परिवारों के माता-पिता को लड़कियों की सुरक्षा के बारे में अधिक आश्वासन देगा।

अगर लिंग असमानता कम हो रही है, तो भी इसे पारिवारिक स्तर पर सम्बोधित किया जाना चाहिए, ताकि इस अंतर को ख़त्म किया जा सके और समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके।

विकास में बाधा बनने के बजाय, सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए, उस पर चर्चा की जानी चाहिए और उसका सकारात्मक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि एक-दूसरे का सहयोग किया जा सके।

कई शोध बताते हैं कि सभी स्तर पर शिक्षकों द्वारा लिंग जागरूकता की आवश्यकता है ताकि वे लड़कियों और लड़कों दोनों के सीखने और उनके भविष्य विकास विकल्पों के प्रति सही जानकारी प्रदान करे, वे बच्चों को स्व-अवलोकन, आत्मविश्वासी और अपने आसपास की दुनिया से सकारात्मक संबंध बनाने, समृद्ध, मानव कल्याण, साथी स्वीकृति और सामाजिक सहयोग में मदद करने योग्य बनाये ।

भारतीय शिक्षा मे लैंगिक अंतर

सर्वेक्षण के निष्कर्ष और सारांश

“हमारे प्रयासों को सशक्त बनाने के लिए, वाणी ने नागरिक समाज संगठनों को उनके सम्बंधित क्षेत्रों और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मध्यस्तता प्रारंभ की है। इस मध्यस्तता के दो उद्देश्य हैं: क) विभिन्न हितधारकों के बीच मध्यस्तता बनाना और ख) नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग और अभ्यास के लिए एक मंच प्रदान करना।

इस पहल की शुरुआत करने के लिए, वाणी भारतीय नागरिक समाज संगठनों की भूमिका, नवाचार और योगदान पर दस्तावेज बना रही है - लिंग भेद को कम करना और लड़कियों के नामांकन को बढ़ाना और सरकार तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से, भारतीय सिविल सोसाइटी संस्थान, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में किशोरियों के लिए सशक्त वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। वाणी ने अपने सदस्यों के बीच शैक्षिक लिंग भेद वाले राज्यों का मानचित्रण करने के लिए एक प्रारंभिक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया। और साथ ही, आपसी आदान-प्रदान और सीखने के लिए नागरिक समाज मंच के गठन में संभावित भागीदारों के लिए पहचान करने के उद्देश्य को पूरा किया है।

गूगल फ़ॉर्म प्रारूप में एक प्रश्नोत्तरी भेजी गई है, जिसमें वे सदस्य संस्थान जो लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, से अनुरोध किया गया कि वे उनके संचालन रणनीतियों, अनुभवों और कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्रदान करे ।

सर्वेक्षण लिंक https://docs.google.com/forms/d/1wEfV5SuaFnfTNUraeCMLilpOGig6RfHXNAjKg7M99yg/edit?ts=662a0b71

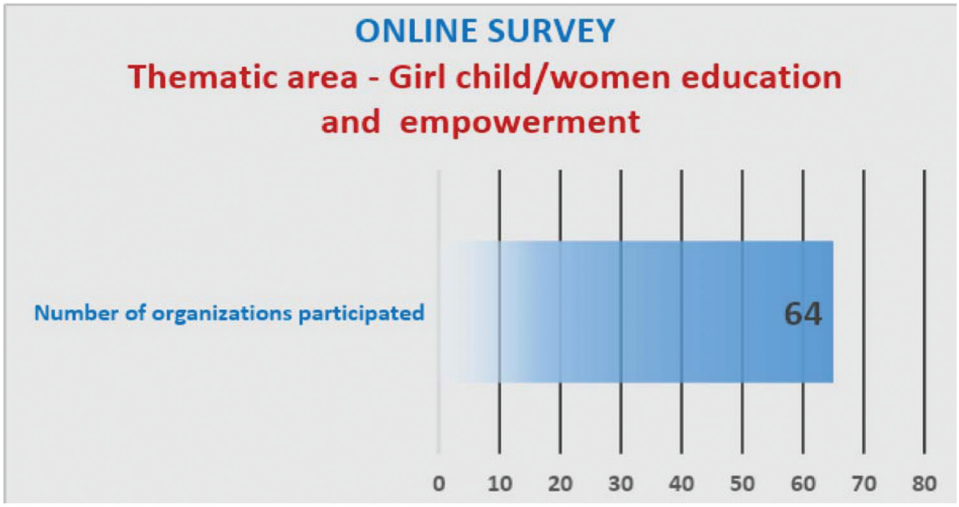

"कुल 64 सदस्य संस्थानों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। ये संस्थान भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सर्वेक्षण फ़ॉर्म सीनियर प्रबंधन टीम के सदस्यों ने भरे थे। ये सदस्य सचिव, ट्रस्टी, निदेशक, संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना प्रबंधक आदि के पदाधिकारी हैं। यह व्यापक सर्वेक्षण इन संस्थानों के प्रयास और बालिका शिक्षा दृष्टिकोण तथा सशक्तिकरण को बढ़ाने में उनकी भूमिका पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।"

संगठनों का मुख्य ध्यान और कार्यात्मक उद्देश्य निम्नलिखित विषय क्षेत्रों पर आधारित हैं।

अधिकांश संस्थान एनआईओएस चला रहे हैं और वे युवाओं से जुड़े हैं, जो स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों और वंचित समुदाय की महिलाओं के लिए कार्य करते है। कुछ संगठन बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण के कार्य कर रहे हैं एवं लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे लड़कियों को स्कूल भेजें। कुछ संगठन जनजाति नियंत्रित क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं। ये समुदाय बहुत पिछड़े हुए है। यहाँ हर गांव में प्राथमिक स्कूल है। जंगली क्षेत्र होने के कारण, कुछ क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल पहुँचना कठिन होता है, विशेषकर बरसात के दिनों में। इन क्षेत्रों में, लड़कियों की शिक्षा पर बहुत कम जोर दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे घरेलू कामों में लग जाती हैं।

"संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले विषयक परियोजनाएँ निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित हैं:

- बाल विवाहों को रोकने के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों से 9वीं कक्षा में पढ़ रही लड़कियों का चयन किया जाता है और उन्हें छात्रवृत्ति, सुधार पाठ्यक्रम जिससे उनका शिक्षा प्रदर्शन बेहतर हो सके, जीवन कौशल सत्र और करियर मार्गदर्शन सत्र के साथ सहयोग प्रदान किया जाता है।
- जीवन कौशल शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी शिक्षा, बाल विवाह जागरूकता, महिलाओं के लिए उद्यमिता, विधवाओं के लिए आजीविका आदि।

- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिला नेतृत्व समुदाय संस्थानों का निर्माण करना, महिला किसानों को प्रोत्साहित करना, युवाओं के माध्यम से शिक्षा और बाल अधिकार कार्यक्रम, माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता प्रदान करना।
- 3 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक देखभाल और सहायता की निरंतरता के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, जिसमें बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए तैयार करने के लिए सामुदायिक देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आयु-उपयुक्त शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करना और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।
- समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक गरीब परिवार से जुडी लड़की और युवती को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। मासिक धर्म की स्वच्छता पर जागरूकता सत्र।

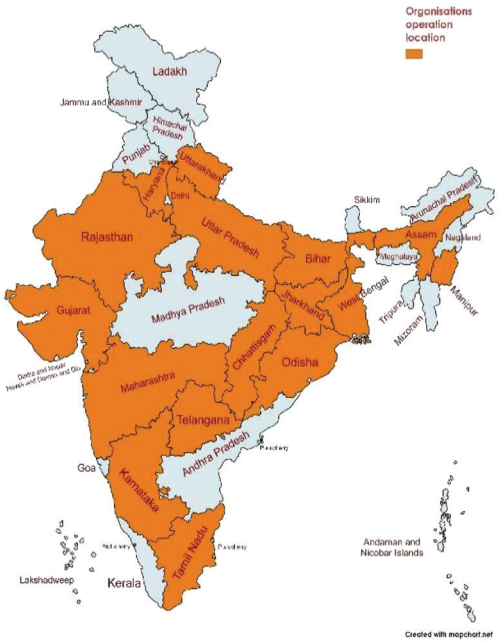

- ग्राम पंचायत / गांव स्तर के संसाधन केंद्रों (आरसी) के माध्यम से किशोरियों के समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।
- किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, जैविक खेती, वित्तीय प्रबंधन और रिकॉर्ड रखने, स्वयं सहायता समूह प्रबंधन, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए पीआरआई की भूमिका पर क्षमता निर्माण, शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं को सामुदायिक आवश्यकताओं के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना। कभी स्कूल नहीं गई और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों तथा बालिका श्रमिकों को सामुदायिक दृष्टिकोण आधारित शिक्षा प्रदान करना ।
- लड़कियों को "सीखते हुए कमाएं" की रणनीति अपनाने में सक्षम बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान ।

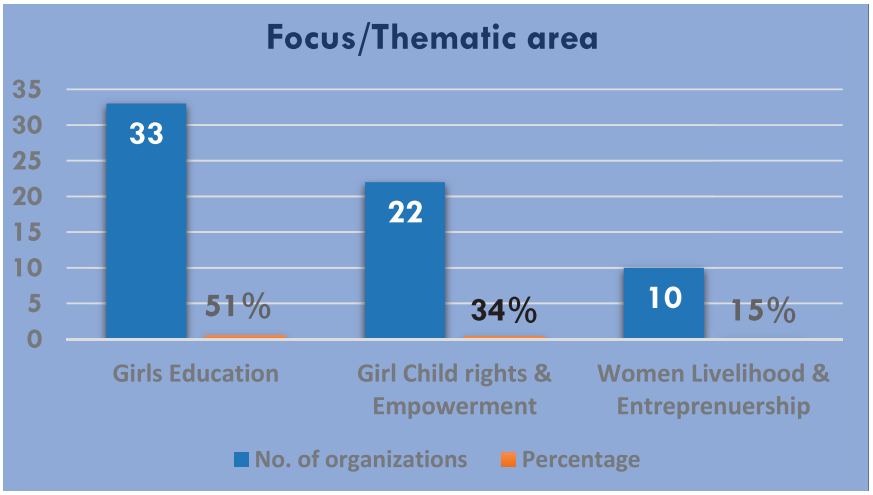

सर्वेक्षण के अनुसार, 51% संस्थान केवल लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम पर काम करते हैं और इन्हें प्राथमिकता देते हैं। उनके प्रयास लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना हैं। 34% संगठन समग्रतः शिक्षा को सशक्तिकरण के साथ मिलाकर काम करते हैं और उनकी परियोजनाएँ कानूनी अधिकारों, सामाजिक समावेशन और लड़कियों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित हैं।

15% संगठनों का मुख्य ध्यान महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर है। वे आजीविका परियोजनाओं का समर्थन करते हैं और महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही, वे अपने समुदायों में बालिका शिक्षा के लिए सहायता भी प्रदान करते हैं

सर्वेक्षण के निष्कर्ष और सारांश

संस्थानों के सामूहिक प्रयास विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। प्रतिभागी सदस्य संस्थान विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि नीचे दिखाई गई छवि में है:

.Sl. No	राज्य
1	तमिलनाडु
2	उत्तर प्रदेश
3	छत्तीसगढ़
4	महाराष्ट्र
5	बिहार
6	हरियाणा
7	गुजरात
8	राजस्थान
9	पश्चिम बंगाल
10	दिल्ली
11	ओडिशा
12	असम
13	तेलंगाना
14	कर्नाटक
15	उत्तराखंड
16	मणिपुर
17	झारखंड

छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

सर्वेक्षण में शामिल संस्थानों द्वारा साझा की गई कुछ टिप्पणियां निम्नलिखित हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर लड़कियों के लिए, शिक्षा तक पहुंच के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है:

- अनेक छात्र, विशेषकर वे जो वंचित परिवार से हैं, संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।
- वित्तीय सहायता/सहयोग का अभाव, शिक्षा सामग्री तक पहुँच me कमी और माता-पिता की अनदेखी लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालती है।
- यह सराहनीय है कि छात्र तेजी से सीखते हैं। हालांकि, विभिन्न कारणों से अनियमित स्कूली शिक्षा उनकी सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है।
- महत्वपूर्ण अवधियों में (जैसे धान और आलू की ऋतु या विवाह माह) स्कूल और शिक्षा केंद्रों में अनुपस्थिति शिक्षा में निरंतरता पर असर डालती है।
- केरोसीन ईंधन की उच्च लागत और छात्रों के घरों में बिजली की कमी अतिरिक्त बाधाएँ पैदा करती हैं। पोषणहीनता शारीरिक विकास पर प्रभाव डालती है, इसलिए शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकताओं को समझना भी अत्यंत आवश्यक है।
- शिक्षा के प्रति माता-पिता की उदासीनता और कम उम्र में विवाह की प्रथाएँ लड़कियों को स्कूली शिक्षा से वंचित करने में योगदान देती हैं। प्रभावी शिक्षा के लिए स्थानीय बोलियों और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित स्कूल और सुलभ बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, खासकर विकलांग लड़कियों के लिए।
- समुदायों में लैंगिक मानदंडों और मान्यताओं को संबोधित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन यह प्रगति के लिए आवश्यक है। कम उम्र में विवाह एक बाधा बनी हुई है, और औपचारिक स्कूलों में जाने में असमर्थ लोगों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा एक विकल्प हो सकती है। समान शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव पर काबू पाना आवश्यक है।
- जागरूकता पैदा करना और सहायता प्रदान करना छात्रों और उनके परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। बदलाव लाने के लिए सिविल सोसाइटी संस्थानों (सीएसओ) सहित हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है।
- ये अनुभव इन चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी लिंग या पृष्ठभूमि के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो। अधिक न्यायसंगत और समावेशी शैक्षिक प्रणाली की दिशा में निरंतरता के अवसर अभी अधिक है।

लड़कियों की शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ

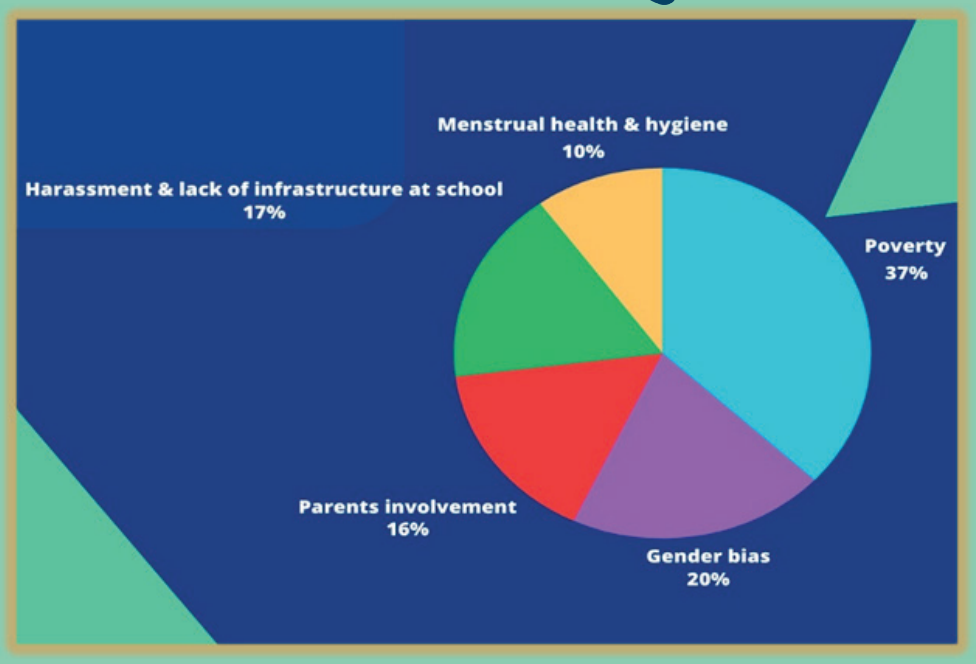

37% प्रतिस्पर्धी संगठनों ने बताया कि गरीबी और वित्तीय पृष्ठभूमि भारत में लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख बाधा है।

20% का कहना है कि ग्रामीण समुदायों में लिंग भेदभाव और सामाजिक मानदंड हैं, जहाँ लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य 16% का कहना है कि बेटियों के जीवन में निर्णय लेने में माता-पिता की भागीदारी जैसे कि कम उम्र में शादी, शिक्षा, घर की ज़िम्मेदारी लड़कियों को देना आदि। महिलाओं के अनुकूल संरचना (शौचालय, चेंजिंग एरिया) की कमी, खासकर सरकारी स्कूलों में, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की नियमित उपस्थिति में बाधा बन रहे हैं। 10% उत्तरदाताओं ने बताया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी अभी भी भारतीय समाज में एक वर्जित विषय है। लड़कियों को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकरण जीवविज्ञान, स्वच्छता प्रथाओं और सहनशीलता रणनीतियों के बारे में ज्ञान देकर सशक्त बनाया जा सकता है।

सर्वेक्षण के दौरान दिये गए कुछ विशिष्ट निष्कर्ष

प्रतिभागियो ने समुदायो में काम करते समय उनके सामने आई मुख्य बाधाओं पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, लिंग भेदभाव, किशोरावस्था में गर्भावस्था और पर्दा प्रणाली आदि। माता-पिता अशिक्षित होते हैं और अपनी बेटियों को अपने गाँव के बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

- छेड़खानी से सुरक्षा और संरक्षण लड़कियों के लिए अब भी एक चुनौती है, जिसके परिणामस्वरूप वे स्कूल छोड़ देती हैं।
- गरीबी और घरेलू जिम्मेदारियाँ भी लड़कियों के शिक्षा अवसरों को सीमित करती हैं।
- माता-पिता के शिक्षा स्तर में कमी - उन्हें समझाने की आवश्यकता है ।
- नौकरी के घटते अवसरों के कारण शिक्षा के बड़े दृश्य की कमी अथवा प्रत्यक्ष लाभों का अभाव।
- लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा सुविधाएँ आमतौर पर उनकी पहुँच से दूर होती हैं।
- स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी लड़कियों के स्कूल छोड़ने का कारण बनती है। लड़कियों के लिए अलग और कार्यात्मक शौचालय की कमी, मासिक धर्म स्वच्छता के रखरखाव की सुविधा का अभाव आदि लड़कियों को स्कूल में बने रहने में बड़ी भूमिका निभाता हैं।
- कभी-कभी स्कूल से दूरी और स्कूल जाने के रास्ते में असुरक्षित वातावरण छात्राओं के स्कूल जाने में बाधा उत्पन्न करता है।
- सामाजिक मानदंड, पितृसत्ता, समुदाय में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव और शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण, जहां एक लड़की को अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए परिवार से लेकर स्कूल और समाज तक का सहयोग आवश्यक होता है।
- दूरदराज के गांवों में लड़कियां कुपोषण का शिकार होती हैं, उन्हें घर के मवेशियों और छोटे भाई-बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, पिता नशे के आदी होते हैं और मां पैसे कमाने के लिए घर से बाहर काम करती हैं।

बच्चों को अक्सर खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालाँकि ये बच्चे पास के सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। उनमें से कई - ख़ास तौर पर लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये युवतियाँ बाद में असंगठित क्षेत्र में अपने माता-पिता के साथ जुड़ जाती हैं और यह दुष्चक्र दोहराया जाता है। झुग्गियों में कई घर कम उम्र में शादी, कम उम्र में बच्चे पैदा होने से मौत, यौन हिंसा और युवा माताओं को उनके पतियों द्वारा छोड़े जाने की कहानियों से भरे पड़े हैं।

- सामुदायिक संवाद, कार्यशालाओं और कानूनी वकालत के माध्यम से जागरूकता बढ़ाएँ। लड़कियों को उनके अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाएँ।
- माता-पिता को जागरूक करने वाले कार्यक्रम चलाएँ, जिसमें उनकी बेटियों के लिए शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों पर ज़ोर दिया जाए।
- सुरक्षित स्कूल वातावरण सुनिश्चित करें, उत्पीड़न को संबोधित करें और सुरक्षित परिवहन विकल्प प्रदान करें। छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, लचीला स्कूल समय और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें। सफल महिला रोल मॉडल के द्वारा कैरियर की संभावनाओं को प्रदर्शित करें।
- सुविधाओं में सुधार करें, जिसमें अलग-अलग कार्यात्मक शौचालय और मासिक धर्म स्वच्छता प्रावधान शामिल हैं।
- सुरक्षित परिवहन विकल्प प्रदान करें और समुदायों के करीब स्कूल स्थापित करें। धार्मिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों को शामिल करते हुए सामुदायिक जागरूकता अभियान रूढ़िवादिता को चुनौती दे सकते हैं
- पोषण पर ध्यान दें, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए सहायता प्रदान करें और सामुदायिक रसोई को बढ़ावा दें। छात्रों को प्रेरित रखने के लिए शिक्षण विधियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन को बेहतर बनाएँ।
- कानूनी जागरूकता, स्वास्थ्य चिकित्सालय और परामर्श से कम उम्र में विवाह को रोका जा सकता है और युवा माताओं को सहायता मिल सकती है।
- इन चुनौतियों का समग्र रूप से समाधान करके, हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां लड़कियाँ शैक्षिक और व्यक्तिगत रूप से विकसित हो सकें।

फ़ुटनोट:

1. https://timesofindia.indiatimes.com/india/is-indias-rapidly-growing-youth-population-a-dividend-or-disaster/articleshow/97545222.cms
2. https://borgenproject.org/female-education-in-india/#:~:text=According%20to%20Bloomberg%2C%20higher%20rates,their%20equal%20access%20to%20education.
3. https://kdcampus.live/uploaded/content_data/Women's_Education___Essay_20210623105912.pdf
4. https://ncert.nic.in/dgs/index.php?ln=en#:~:text=The%20Department%20of%20Gender%20Studies%20in%20committed%20to%20making%20significant,girl%20child%20and%20transgender%20and
5. https://india.unfpa.org/en/news/end-cycle-child-marriages-empowerment-education-and-employment
6. https://india.unfpa.org/en/news/end-cycle-child-marriages-empowerment-education-and-employment
7. https://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/gender-disparity-in-education-hits-aps-literacy-rate-ranking/articleshow/77985373.cms
8. https://www.oxfamindia.org/importance-of-girl-child-education

संदर्भ:

https://india.unfpa.org/en/topics/adolescents-and-youth-8

file:///C:/Users/Admin/Downloads/vol29_16.pdf

https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-india-2018 Swargiary, k. A Comprehensive Analysis of State-Wise Literacy Rates in India. Preprints 2023, 2023101688.https://doi.org/10.20944/preprints202310.1688.v1

https://www.businessinsider.in/education/article/lowest-female-literacy-rate-in-india-state-wise/articleshow/80119311.cms

https://www.geeksforgeeks.org/state-wise-literacy-rate-in-india/

https://www.statista.com/statistics/271335/literacy-rate-in-india/

https://sprf.in/seasonal-migration-and-childrens-education-in-india/#:~:text=Seasonal%20migration%20adversely%20affects%20the,sites%2C%20educational%20opportunities%20are%20limited.

https://www.smilefoundationindia.org/blog/importance-of-girl-child-education-in-india/

https://www.ndtvprofit.com/global-economics/women-could-give-20-trillion-boost-to-economic-growth-by-2050#google_vignette

file:///C:/Users/Admin/Downloads/vol29_16.pdf

https://educationoutloud.org/role-civil-society-ensuring-education-all

https://timesofindia.indiatimes.com/india/parl-panel-suggests-urgent-concerted-measures-to-prevent-dropout-of-poor-girls-from-schools-post-pandemic/articleshow/89087454.cms

https://www.collegesearch.in/articles/education-for-girls

https://uk.blitzindiamedia.com/the-journey-of-nep-2020/

https://margcompusoft.com/m/government-schemes-for-the-girl-child/#:~:text=Governments%20should%20collaborate%20with%20civil,ensure%20their%20long%2Dterm%20success.

https://ngofeed.com/role-of-ngo-in-women-empowerment-in-india/

https://www.educategirls.ngo/blog/what-part-can-an-ngo-play-in-improving-the-education-of-the-girl-child/

https://www.highereducationdigest.com/how-ngos-can-help-girls-get-better-education/

https://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/gender-disparity-in-education-hits-aps-literacy-rate-ranking/articleshow/77985373.cms

https://www.nextias.com/blog/women-empowerment/

https://malala.org/countries/india

file:///C:/Users/Admin/Downloads/1129pm_39.EPRA%20JOURNALS%20%2013857.pdf

https://in.childhelpfoundation.in/index.php/Media/blog

http://www.create-rpc.org/pdf_documents/PTA18.pdf

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Bookmultifactedgenderbook.pdf

VANI

CELEBRATING 35 YEARS OF SERVING THE INDIAN VOLUNTARY SECTOR

वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) के बारे में

वाणी भारत के स्वैच्छिक संगठनों का एक राष्ट्रीय मंच है, जिसका गठन 1988 में किया गया था। वर्तमान में, इसका 620 से अधिक प्रत्यक्ष और 15,000 से अधिक संगठनों तक पहुंच का मजबूत नेटवर्क आधार है, जो 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। वाणी व्यापक रूप से अनुकूल वातावरण के लिए साक्ष्य-आधारित वकालत और स्वैच्छिक क्षेत्र के सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए जाना जाता है। अपनी नेटवर्क के माध्यम से, वाणी अपनी सदस्यता के साथ-साथ गैर-सदस्यों को भी नीतियों, विधायकों, कराधान, सतत विकास आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रभावी और समयबद्ध तरीके से प्रसारित करता है। वाणी स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता का निर्माण करती है, जिनमें महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे बेहतर शासन और प्रभावी नेतृत्व, कानूनी अनुपालन, जवाबदेही, पारदर्शिता, रणनीतिक संसाधन जुटाना और वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक प्रणाली को सुदृढ़ करने और लचीलापन बनाना शामिल हैं। हितधारक संवादों के माध्यम से, VANI आंतरिक और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण का निर्माण करती है, इस प्रकार सरकार, कॉर्पोरेट, सिविल सोसाइटी और दाताओं को एक साझा मंच पर लाकर एकजुट और प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। अपने बनाए गए विशेष मंचों के माध्यम से, (क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और नेता; (ख) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), चार्टर्ड एकाउंटेंट और कानूनी विशेषज्ञ, वाणी आम हित के मुद्दों पर आपसी और अंतर सहकर्मी शिक्षण को दिशा प्रदान करती है । वाणी साक्ष्य-आधारित व्याख्यान के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सुधारों के लिए भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। वाणी भारतीय स्वैच्छिक संस्थानों के वैश्विक विकास चर्चा में उपस्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह फोरस, सिविक्स, एफिलिएशन ग्रुप ऑफ नेशनल एसोसिएशन (एजीएनए), एशियन डेवलपमेंट अलायंस (एडीए), एशिया डेमोक्रेसी नेटवर्क जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों की सदस्य है। वाणी ने अकाउंटेबल नाउ, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी सेंटर और दुनिया में आठ जवाबदेही पहल के साथ सांझेदारी करके जवाबदेह सीएसओ के लिए वैश्विक मानक तैयार किये है । वर्तमान में, यह भारत और दक्षिण एशिया में स्वैच्छिक संगठनों को जवाबदेही और पारदर्शिता मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ सके। वाणी ने सिविल सोसाइटी का ध्यान आकर्षित करने और एसडीजी, ब्रिक्स, बीबीआईएन, बिम्सटेक, ब्लू इकोनॉमी और उनके सामाजिक निहितार्थों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडों और साझेदारियों के लिए प्रोत्साहित करने पर अपनी व्यापक भूमिका निभाई है।

वॉलन्टरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

(स्वैच्छिक संगठनों का शीर्ष नेतृत्व)

वानी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077

011-49148610, 40391661 ईमेल: info@vaniindia.org

वेबसाइट: www.vaniindia.org